न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0, हरदोई।

सत्र परीक्षण सं0–119/16

राज्य.....बनाम.....अनिल कुमार आदि।

दिनांकः 16.07.16

पत्रावली पेश हुई।

आवाज करायी गयी। पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्तगण अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को आरोप के बिन्दु पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवकता (फौ0) की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण पर धारा 147,148,308,323,504 भा0 दं0 सं0 का अपराध पूर्णतया केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर साबित है तथा साक्षियों द्वारा उक्त आरोपों को साबित करना कहा गया है।

जबकि अभियुक्तगण अधिवक्ता की ओर से मौखिक रूप से कथन किया गया है कि धारा 308 भा0 दं0 सं0 का आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं बनता है, क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा वादी मजरूब व उसके भाई को जो चोटे पहुंचायी गयी है, वह मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर साधारण प्रकृति की बतायी गयी है। अतः धारा 308 भा0 दं0 सं0 न बनकर मात्र धारा 147,148,323,504 भा0 दं0 सं0 का अपराध बनता है। अतः उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किए जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 308 भा0 दं0 सं0 में निम्न प्रकार वर्णित है–जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। इस प्रकार उक्त परिभाषा के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त परिस्थितियों में साधारण या गंभीर चोट का कोई वर्णन नहीं किया गया है। ऐसे आशय या जानकारी द्वारा और ऐसी परिस्थिति का वर्णन किया गया कि यदि ऐसी परिस्थिति में कोई कार्य करे जिससे वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। केस डायरी में उपलब्ध वादी व उसके भाई कल्लू का बयान व मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनके सिर में चोटे आयी है। अभियुक्तगण द्वारा सिर के कोमल भाग में चोटे आपराधिक मानव बध करने के आशय से कारित किया जाना प्रतीत होता है। यदि अभियुक्तगण का आशय साधारण चोट पहुंचाने का होता तो वह शरीर के किसी अंग में उपहति कारित करता। परन्तु अभियुक्तगण द्वारा सर के कोमल भाग में उपहति कारित की गयी है। जिसका आशय यही निकलता है कि अभियुक्तगण का आशय आपराधिक मानव वध करने का था। अतः अभियुक्तगण पर हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के साक्ष्य के आधार पर साबित होता है। अतः अभियुक्तगण पर 147,148,323,504 भा0 दं0 सं0 का आरोप विरचित किए जाने का आधार पर्याप्त है। पत्रावली दिनांक 19.07.16 को वास्ते आरोप विरचित किए जाने हेतु पेश हो। नियत दिनांक को अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आएं।

(राजेश कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0,

हरदोई।